न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 13 / 2017

उनवान

1. देबी पुत्र जगन्नाथ कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. महावीर पुत्र भुवाना कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. छोटू पुत्र भुवाना कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. मु0 रामप्यारी बेवा भुवाना कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5. हीरा पुत्र बरदा लोधा निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. भोलू पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. पोखर पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. हीरा पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5. लाला पुत्र नाथू कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6. मु0 गंगा पुत्री नाथू कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7. नानू पुत्र भैरू गुर्जर निवासी सेवनी सूरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8. देबी पुत्र भूरा कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. सीताराम पुत्र भूरा कुमावत निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के प्रकरण संख्या 386 / 2014 निर्णय दिनांक 09.11.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री शोभागमल कुमावत , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मथुरा प्रसाद बोहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण

निर्णय

दिनांक 17.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / अपीलार्थीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आरणी पटवार हल्का अरनिया रासा तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे काश्त 53 की आराजी नम्बर 23, 24, 25, 26, 27 कुल रकबा 1.86 हैक्टर प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रेकार्ड है व आ0नं0 57 प्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभाग करते चले आ रहे हैं। जिसकी नकल नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में आने जाने का एक मात्र रास्ता सरकारी रास्ता गोपालपुरा– आरणी गिट्टी सड़क है से होकर विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 की आराजी नम्बर 28, 29, 30, 54, 55, 56, 58 की मेड़ के सहारे सहारे व कुए के पास होकर अपनी आराजीयात में आते जाते हैं, जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से ——– निशान से दर्शाया गया है से अपनी कृषि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजीयात पर आते जाते हैं जो 12 फीट चौड़ा रास्ता बना होकर गाडी गडार बनी हुई है, जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 23, 24, 25, 26, 27, 57 में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में आने जाने का एकमात्र रास्ता व आत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है लेकिन विपक्षीगण की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजीयात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लगगये व जबरन रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जिसके सम्बन्ध में जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा को भी शिकायत की गयी है। उपरोक्त खातेदारों से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये हैं। उक्त रास्ता ही सीधा सरल व सुगम व आत्यान्तिक रास्ता है, जो कि गिट्टी रोड़ के पास स्थित है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

3. अतः निवेदन है कि सरहद आरणी मे आराजी नम्बर 23, 24, 25, 26, 27, 57 पर आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 28, 29, 30, 54, 55, 56, 58 की मेड़ जिसे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से --- से दर्शाया गया है, से 12 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स ने उक्त निर्णय होने के पश्चात नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया व नकल दिनांक 25.11.2016 को प्राप्त हुई व नकल प्राप्त होने की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है, लेकिन निर्णय / आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को मण्डोन फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

7. बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि आरणी मे आराजी नम्बर 23, 24, 25, 26, 27, 57 पर आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 28, 29, 30, 54, 55, 56, 58 की मेड़ जिसे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से --- से दर्शाया गया है, से 12 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है।

8. तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट रास्ते बाबत पेश की गयी, जो रेस्पोडेन्ट्स से मिलीभगती कर मनमकसूद तरीके से पेश की है, जिस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. बहस में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार एवं अन्य रास्ता उपलब्ध होने व संक्षिप्त रास्ता नहीं होने से विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

10. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण अपनी खातेदारी की आ0नं0 23, 24, 25, 26, 27, 57 पर आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 28, 29, 30, 54, 55, 56, 58 की मेड़ जिसे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से --- दर्शाया गया है, से 12 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 में आ0नं0 23, 24, 25, 26, 27 महावीर, छोटू, प्रेम पिता भुवाना, रामप्यारी बेवा भुवाना 1/2 देबी पिता जगन्नाथ 1/2 कुमावत सा0 बास्टा खातेदार होकर रहन एसबीबीजे शाहपुरा हिस्सा देबी का दर्ज होना स्पष्ट होता है। आ0नं0 57 श्री हीरा पुत्र बरदा लोधा निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा के खातेदारी की है। इस प्रकार अपीलार्थी संख्या 1 से 4 आ0नं0 23, 24, 25,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

26, 27 के खातेदार है तथा आ0नं0 57 का श्री हीरा लोधा खातेदार है। इस प्रकार दो अलग–अलग खातेदार है परन्तु प्रार्थनापत्र दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शा ट्रेस के ग्राम आरणी सम्वत् 2044 सन् 1987 के अनुसार आ0नं0 23, 24, 25, 26, 27 उत्तर में स्थित है तथा आ0नं0 57 प्रार्थीण / अपीलार्थी संख्या 1 से 4 की आराजीयात के दक्षिण में स्थित है। अपीलार्थीगण की उक्त आराजीयात के उत्तर एवं दक्षिण दोनो तरफ रास्ता स्थित है परन्तु नियमों के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे लघुत्तम रास्ता हो तथा रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक होने पर ही दिया जावे। उक्त कथन की पुष्टि में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक / राजस्व / विधि / 16 / 259 दिनांक 19.02.16 से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का अरनिया रासा की रिपोर्ट दिनांक 18.02.2016 एवं मौका पर्चा ग्राम आरणी पटवारी हल्का अरणिया रासा व भू अभिलेख निरीक्षक मिण्डोलिया दिनांक 17.02.2016 संलग्न है जिस अनुसार प्रार्थीगण की आ0नं0 23, 24, 25, 26, 27 के उत्तर में रास्ता सेवनी सूरजपुरा से गोपालपुरा लगता हुआ है तथा दक्षिण में रास्ता गोपालपुरा से आरणी रास्ता स्थित है परन्तु दर्शाए गए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते की भूमियों के कोई आराजी नम्बर अंकित नहीं किए गए है। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को प्रेषित जवाब की फोटो प्रति तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार संयुक्त मौका पर्चा दिनांक 17.02.2016 में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि अपीलार्थीगण को अपनी आराजीयात पर पहुंच हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता के सम्बन्ध में भी कोई स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि विधिक दृष्टि से जो सबसे लघुत्तम रास्ता हो वही दिया जाना न्यायोचित है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समरी इन्क्वायरी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 23 का अंकन नक्शे में किया ही नहीं गया है, तथा विकल्प स्वरूप अंकित रास्ते के खसरा नम्बर भी नहीं लिखे हैं। ऐसे में उपलब्ध बताए गए वैकल्पिक रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने बाबत स्पष्ट अवधारणा कायम नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समरी इन्क्वायरी विधि के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण नहीं करवाई गई है। अपीलाण्टगण द्वारा आ0नं0 55, 56, 54, 57, 58, 28, 29, 30 में से होकर रास्ता चाहा है जबकि अपीलाण्टगण दो पृथक–पृथक खातों में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। आ0नं0 57 का खातेदार हीरा पिता बरदा लोधा है तथा आ0नं0 23, 24, 25, 26, 27 के अपीलार्थी संख्या 1 से 4 संयुक्त खातेदार है ऐसी स्थिति में रास्ते के लिए भी दो अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत होने चाहिए थे। आ0नं0 57 के लिए अलग रास्ते का अनुतोष अपेक्षित है, जिसका विवेचन समरी इन्क्वायरी रिपोर्ट में नहीं है। परन्तु अपीलान्टगण द्वारा पृथक–पृथक खाते होने तथा खातों के मध्य अत्यहिधक दूरी होने के बावजूद एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता चाहा है। जिसे विस्तृत समरी इन्क्वायरी उपरान्त निर्णित किया जाना था।

12. हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाधीन निर्णय का सारगर्भित विवेचन किया। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत समरी इन्क्वायरी रिपोर्ट दिनांक 17.02.2016 को आधार बनाकर प्रार्थी की आ0नं0 23, 24, 25, 26, 27 पर आने जाने हेतु लगती सीमा सेवनी–सूरजपुरा–गोपालपुरा में मौके पर रास्ता मौजूद होना पाया है तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है। आराजी नम्बर 57 श्री हीरा पिता बरदा लोधा की आराजी पर पहुंचने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता होना समरी इन्क्वायरी रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं है, तथा समरी इन्क्वायरी रिपोर्ट मे वैकल्पिक प्रदर्शित रास्तों के खसरा नम्बर अंकित नहीं होने से उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्पष्ट प्रदर्शित नहीं होता है। इससे समरी इन्क्वायरी तथा समरी इन्क्वायरी के आधार पर पारित किया गया निर्णय दूषित हो जाता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2016 को खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आत्यन्तिक आवश्यकता के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 251–ए के अनुसरण में समरी इन्क्वायरी पूर्ण कराया जा कर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा